न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 14/2020
GCMS NO. : 2020/00027

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. शैतानराम पुत्र रूपाराम
जाति जाट, निवासी–बेरा रूमाली
रामावास खुर्द, तहसील जैतारण
जिला पाली।

1. पेमाराम पुत्र रूपाराम
2. गोपाराम पुत्र रूपाराम
3. उगराराम पुत्र रूपाराम
4. चौथी पत्नी रूपाराम
5. पप्पु पुत्र पूसाराम
6. महेन्द्र पुत्र पूसाराम
7. सेणकी पत्नी पूसाराम
जातियान जाट, निवासीगण बेरा रूमाली रामावास खुर्द, तहसील जैतारण जिला पाली।
8. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.25/02/2020

उपस्थितः– 1. श्री रमेश कुमावत, श्री चेतन प्रकाश, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 12/05/2023

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी की भूमि राजस्व मौजा रामावास खुर्द, पटवार हल्का रामावास कलां, तहसील जैतारण, जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 53 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 54 रकबा 10.8051 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.2104 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 62 रकबा 2.1934 किस्म चाही दोयम में वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित खसरान नम्बरान की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 की पुश्तैनी कब्जा सुदा हक सुदा है। पूर्व में उक्त भूमि वादी के पिता रूपाराम पुत्र डवाराम जी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की थी। रूपाराम जी के देहान्त होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 196 के उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। उस दौरान तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादी का सही नाम शैतानराम की बजाय राजस्व रेकर्ड में सताराम दर्ज कर दिया। तत्पश्चात् इसी माफिक चौ[illegible] जमाबन्दी में अंकन कर दिया। नकल नामान्तरणकरण संख्या 196 [illegible] इस वादपत्र के साथ पेश है। विवादित भूमि वादी [illegible] के खातेदारी [illegible] जे काश्त की है परन्तु इस भूमि के राजस्व रेकर्ड में वा[illegible] का नाम सताराम [illegible] रूपाराम जी दर्ज है। लेकिन वादी के पहचान से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजात भामाशाह कार्ड,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:13 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल की टी.सी. सभी में वादी का नाम शैतानराम पुत्र रूपाराम दर्ज है। जबकि विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में सताराम पुत्र रूपाराम के नाम का अंकन होने से वादी को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। वादी बैंक से अपना साख पत्र नही बनवा पा रहा है न ही अन्य आवश्यक मिलने वाली सुविधायें ले पा रहा है। जिससे वादी को भारी नुकशान हो रहा है। वादी ने इस प्रकार की गलत प्रविष्टि को दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण व उनके अधिनस्थ हल्का पटवारी को निवेदन किया लेकिन उन्होने दिनांक 01.02.2020 को इस प्रकार की दुरूस्ती करने से इन्कार करते हुये न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी है। इस प्रकार से वादी की इस विवादित खसरान नम्बरान की भूमि में वादी के सही नाम शैतानराम के नाम का अंकन पूर्व में दर्ज गलत नाम सताराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर वादी दर्ज करवाने तथा ऐसी घोषणा करवाने का वादी अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 8 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। अतः अनुमति हेतु धारा 80 (2) का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। बिनाय वाद दिनाक 01.02.2020 को प्रतिवादी द्वारा वादी के नाम से दुरूस्ती करने से इन्कार करने पर बमुकाम रामावास खुर्द तहसील जैतारण जिला–पाली में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद व अदालत श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में वादपत्र प्रस्तुत है।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 बावजूद सम्मन्/सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि यह सही है कि ग्राम रामावास खुर्द के खसरा नम्बर 53,54,55,62 में सताराम पुत्र रूपाराम सहखातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त इन्द्राज जरीये विरासत ना.सं. 196 के दर्ज हुआ है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में सताराम पुत्र रूपाराम दर्ज है जबकि वादी का वास्तविक नाम शैतानराम पुत्र रूपाराम है, दोनों व्यक्ति एक ही है। विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में खातेदार का नाम शैतानराम पुत्र रूपाराम दर्ज है।

पत्रावली माननीय राजस्थान सरकार/जिला कलक्टर पाली के आदेशानुसार **प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 व महंगाई राहत प्रशासन कैम्प–2023** ग्राम पंचायत मुख्यालय, रामावासकलां पर पेश हुई। मजमा–ए–आम में वादी मय वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण की बहस सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। मजमा–ए–आम प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 में उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उपयुक्त विवाद्यक वार निर्णय निम्नानुसार है–

1. वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2075–2078 (प्रदर्श–2), संवत् 2052–2022 (प्रदर्श–3), संवत 2048–2051 (प्रदर्श–4) ग्राम रामावासखुर्द खसरा नम्बर 53 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 54 रकबा 10.8051 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

55 रकबा 0.2104 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 62 रकबा 2.1934 किस्म चाही दोयम का अध्ययन किया गया। वस्तुतः जमाबन्दी में सताराम पुत्र रूपाराम सहखातेदार के रूप में अंकित है। नामान्तरकरण पंजिका की प्रति (प्रदर्श–5) के क्र.सं. 196 दिनांक 15.06.1993 की प्रविष्टि अनुसार रूपा के फौत होने से उसके उत्तराधिकारी पूसाराम, पेमाराम, गोपाराम, उगराराम, सताराम पि0 रूपाराम मु. चौथी बेवा रूपा कौम जाट दर्ज किया गया। इस नामान्तरकरण का नोट जमाबन्दी संवत् 2048–2051 (प्रदर्श–4) में भी अंकित है।

2. वादी शैतानराम पुत्र रूपाराम के साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01 के अनुसार उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि वादी के पिता रूपाराम पुत्र डवाराम जी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की थी। रूपाराम के देहान्त के बाद जरिये नामान्तरकरण संख्या 196 से उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। वादी के पहचान से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजात भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड सभी में सही एवं वास्तविक नाम शैतानराम पुत्र रूपाराम दर्ज है। जबकि विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में सताराम पुत्र रूपाराम नाम अंकित है। अन्य शहादत में गवाह जगदीश पुत्र गुदडराम का बयान प्रस्तुत किया। गवाह पारसराम ने अपने बयान गवाह में यह सशपथ कथन किये कि "वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में सताराम दर्ज है, जो गलत है। वादी का सही नाम शैतानराम है। सताराम व शैतानराम एक ही व्यक्ति है।"

3. प्रदर्श दस्तावेजों प्रदर्श–6ए (टी.सी.), प्रदर्श–7ए (आधार कार्ड), प्रदर्श–12ए (भामाशाह कार्ड), प्रदर्श–8ए (जन–आधार कार्ड), प्रदर्श–9ए (पैन कार्ड) में वादि का नाम शैतानराम पुत्र रूपाराम दर्ज है।

4. राजस्थान सरकार/जिला कलक्टर पाली के आदेशानुसार **प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 व महंगाई राहत प्रशासन कैम्प–2023 ग्राम पंचायत मुख्यालय, रामावासकलां में उपस्थित** मौजिज व्यक्तियों द्वारा दौराने उभयपक्ष बहस वादी का नाम सताराम की बजाय शैतानराम होना बताया गया।

5. तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में कथन किया कि ग्राम रामावास खुर्द के खसरा नम्बर 53,54,55,62 में सताराम पुत्र रूपाराम सहखातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त इन्द्राज जरीये विरासत ना.सं. 196 के दर्ज हुआ है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में सताराम पुत्र रूपाराम दर्ज है जबकि वादी का वास्तविक नाम शैतानराम पुत्र रूपाराम है, दोनों व्यक्ति एक ही है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण के जवाब दावा एवं वादी के दस्तावेजात एवं **प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 व महंगाई राहत प्रशासन कैम्प–2023** ग्राम पंचायत मुख्यालय, रामावासकलां में आयोजित कैम्प में आम उभयपक्ष की बहस के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादी की आराजी के खसरा नम्बर 53 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 54 रकबा 10.8051 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.2104 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 62 रकबा 2.1934 किस्म चाही दोयम के भू–अभिलेख में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:13 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

दर्ज प्रविष्टि सताराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर वादी का दस्तावेजो में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम शैतानराम पुत्र रूपाराम है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ प्रविष्टि 'सताराम पुत्र रूपाराम' दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर 'शैतानराम पुत्र रूपाराम' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

-:: *आदेश* ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रामावाखुर्द, पटवार हल्का रामावासकलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैडकलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 53 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 54 रकबा 10.8051 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.2104 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 62 रकबा 2.1934 किस्म चाही दोयम के **भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ** वादी का नाम **सताराम पुत्र रूपाराम** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टि- **'सताराम पुत्र रूपाराम'** *के स्थान पर* ***'शैतानराम पुत्र रूपाराम'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक **डिक्री पर्चा** पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/05/2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कोर्ट कैम्प रामावासकलां में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

वादी:

1. शैतानराम पुत्र रूपाराम जाति जाट, निवासी–बेरा रूमाली रामावास खुर्द, तहसील जैतारण जिला पाली।

प्रतिवादीगण:

1. पेमाराम पुत्र रूपाराम
2. गोपाराम पुत्र रूपाराम
3. उगाराराम पुत्र रूपाराम
4. चौथी पत्नी रूपाराम
5. पप्पु पुत्र पूसाराम
6. महेन्द्र पुत्र पूसाराम
7. सेणकी पत्नी पूसाराम
   जातियान जाट, निवासीगण बेरा रूमाली रामावास खुर्द, तहसील जैतारण जिला पाली।
8. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0स0– 14/2020

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री रमेश कुमावत, श्री चेतन प्रकाश, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व तहसीलदार, जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादग्रस्त आराजी वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रामावाखुर्द, पटवार हल्का रामावासकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बैडकलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 53 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 54 रकबा 10.8051 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.2104 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 62 रकबा 2.1934 किस्म चाही दोयम के भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ वादी का नाम सताराम पुत्र रूपाराम अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टि– **'सताराम पुत्र रूपाराम'** *के स्थान पर* ***'शैतानराम पुत्र रूपाराम'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/05/2023 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	4.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	7.00	मिज़ानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:13 IST
Reason: SelfAttested